जवाहर लाल गुप्ता और के. एस. ग्रेवाल के समक्ष, जे. जे.

राम फाल,-याचिकाकर्ता

बनाम

हरियाणा राज्य और अन्य,- प्रतिवादीगण

2000 की सी. डब्ल्यू. पी. सं. 1688

12अक्टूबर, 2000

भारत का संविधान, *1950*-अनुच्छेद 226-साइटों की नीलामी करने वाली बाजार समिति-याचिकाकर्ताओं उच्चतम बोलीदाता व *25* प्रतिशत राशि जमा करने वाले -आवंटन के समय एम. सी. इस शर्त को लागू करते हुए कि आवंटन उच्च न्यायालय में लंबित एक रिट याचिका के निर्णय के अधीन है-याचिकाकर्ताओं द्वारा मांगी गई रिट के लंबित होने के बारे में अधिक जानकारी देने में विफल रहने वाले प्रतिवादी-आवंटन के प्रस्ताव को अस्वीकार करने वाले याचिकाकर्ता-क्या वे ब्याज के साथ बकाया धन की वापसी के हकदार हैं- निर्धारित, हाँ-सशर्त प्रस्ताव को अस्वीकार करने का अधिकार होने के कारण, वे उस तारीख से ब्याज के साथ उनके द्वारा जमा की गई राशि की वापसी के हकदार हैं जिस दिन उन्होंने प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया था।

मान लिया कि याचिकाकर्ताओं ने नीलामी में भाग लिया था।उन्होंने अपने द्वारा उत्कथित दर पर साइटों को खरीदने के लिए अपने-अपने प्रस्ताव दिए थे।इन प्रस्तावों के जवाब में, प्रत्यर्थियों ने याचिकाकर्ताओं को एक शर्त के साथ साइटों की पेशकश की थी।यह शर्त थी कि आवंटन का प्रस्ताव 1998 के सी. डब्ल्यू. पी. संख्या 11880 के निर्णय के अधीन है।प्रतिवादीगण की ओर से दिया गया प्रस्ताव बिना शर्त नहीं था।अनुबंधों से संबंधित कानून की भाषा में, यह एक जवाबी प्रस्ताव की प्रकृति में था।कानून के तहत याचिकाकर्ताओं को इसे अस्वीकार करने का अधिकार था।

(पैरा 9)

आगे यह अभिनिर्धारित किया गया कि प्रत्येक याचिकाकर्ता ने नीलामी के समय प्रतिवादीगण के पास पर्याप्त राशि जमा की थी।प्रतिवादीगण ने 8 महीने की अवधि के लिए याचिकाकर्ताओं को कुछ भी नहीं बताया और पैसे अपने पास रख लिए।20 अप्रैल, 1999 को पहली बार याचिकाकर्ताओं को भूखंड का प्रस्ताव दिया गया था।उस समय रिट याचिका के लंबित रहने के संबंध में शर्त लगाई गई थी।याचिकाकर्ताओं ने तुरंत अधिक जानकारी के लिए अनुरोध किया था।प्रतिवादीगण चुप रहे।तब याचिकाकर्ताओं ने प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया।लगभग चार महीने बाद प्रतिवादीगण ने जवाब दिया और पैसे वापस करने से इनकार कर दिया।पूरी प्रक्रिया में, प्रतिवादीगण का आचरण निष्पक्ष नहीं था।

(पैरा 11)

इसके अलावा, यह अभिनिर्धारित किया गया कि याचिकाकर्ताओं द्वारा दी गई बोलियों को स्वीकार कर लिया गया।हालांकि, एक सशर्त प्रस्ताव दिया गया था।इस सशर्त प्रस्ताव को उन्होंने अस्वीकार कर दिया था।उन्हें ऐसा करने का अधिकार था।ऐसा करने के बाद, याचिकाकर्ता अपने पैसे वापस करने के हकदार थे।प्रतिवादीगण के पास भुगतान करने से इनकार करने का कोई कारण नहीं था।

(पैरा 12 &14)

याचिकाकर्ता के वकील अरविंद सिंह।

राजबीर सहरावत, प्रतिवादीगण के अधिवक्ता।

जवाहर लाल गुप्ता, जे. *(*मौखिक*)*

(1) क्या याचिकाकर्ता ब्याज के साथ भूखंडों की नीलामी के समय उनके द्वारा जमा किए गए धन की वापसी के हकदार हैं?यह वह संक्षिप्त प्रश्न है जो इन चार याचिकाओं में विचार के लिए अधीन है।पक्षों के विद्वान वकीलों ने 2000 के सी. डब्ल्यू. पी. सं. 1688 (राम फाल बनाम हरियाणा राज्य और अन्य) के तथ्यों का उल्लेख किया है।इन पर संक्षेप में ध्यान दिया जा सकता है।

(2) प्रतिवादीगण ने हरियाणा राज्य में विभिन्न स्थानों पर दुकानों और बूथों के रूप में उपयोग के लिए विभिन्न स्थलों की नीलामी के लिए एक नोटिस जारी किया।3 अगस्त, 1998 को समालखा में सब्जी मण्डी में बूथों के निर्माण के लिए स्थलों की नीलामी की गई थी।याचिकाकर्ता प्लॉट संख्या 230 के लिए उच्चतम बोली लगाने वाला व्यक्ति था। उन्होंने ₹ 4,30,000/- की कीमत की पेशकश की थी। उन्होंने 25 प्रतिशत राशि यानी ₹ 1,07,500/- मौके पर ही जमा करवा दिए थे। लगभग 8 महीने के बाद बाजार समिति, समालखा ने याचिकाकर्ता के पक्ष में आवंटन पत्र जारी किया।इस पत्र की एक प्रति रिट याचिका के साथ अनुलग्नक पी2 के रूप में प्रस्तुत की गई है।इस पत्र में यह उल्लेख किया गया था कि "आवंटन 1998 की सी. डब्ल्यू. पी. संख्या 11880 के परिणाम के अधीन है ।"यह शर्त हरियाणा कृषि विपणन बोर्ड के मुख्य प्रशासक द्वारा दिनांक 31 मार्च, 1999 को भेजे गए पत्र के अनुसार लगाई गई थी।इस पत्र की एक प्रति रिट याचिका के साथ अनुलग्नक पी-3 के रूप में संलग्न है।पत्र की प्राप्ति पर याचिकाकर्ता ने 24 मई, 1999 को पंजीकृत डाक द्वारा एक अभ्यावेदन भेजा।अन्य बातों के साथ-साथ यह भी कहा गया कि नीलामी के समय 1998 की सी. डब्ल्यू. पी. संख्या 11880 के संबंध में कोई शर्त नहीं रखी गई थी।याचिकाकर्ता ने अनुरोध किया कि रिट याचिका के संबंध में पूरा विवरण दिया जाए।ऐसा प्रतीत होता है कि प्रतिवादीगण द्वारा इस पत्र का कोई जवाब नहीं दिया गया था।इसके बाद याचिकाकर्ता ने 23 जून, 1999 को एक पत्र भेजा।इस पत्र में उन्होंने 24 मई, 1999 के अभ्यावेदन से पहले प्राप्त/भेजे गए कुछ पत्रों का उल्लेख किया।उन्होंने बताया कि 20 अप्रैल, 1999 का पत्र उन्हें 17 मई, 1999 को प्राप्त हुआ था।

उन्हें 10 मई और 24 मई, 1999 के अपने पत्रों का कोई जवाब नहीं मिला। परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए, 20 अप्रैल, *1999* के आवंटन पत्र के माध्यम से दिया गया प्रस्ताव उन्हें "पैरा संख्या 20 में नया खंड डालने के कारण स्वीकार्य नहीं है, जिसे नीलामी के समय प्रस्तावित नहीं किया गया था।" इस आधार पर, उन्होंने बकाया राशि रु. 1,07,500 के साथ प्रचलित ब्याज की वापसी की माँग की ।इस पत्र की एक प्रति प्रतिवादी संख्या 2 को भी भेजी गई थी।

(3) 5 महीने से भी अधिक समय बाद, 8 अक्टूबर, 1999 को तीसरे प्रतिवादी ने याचिकाकर्ता को सूचित करते हुए एक पत्र भेजा कि बोलीदाताओं को "ब्याज के साथ जमा की गई बोली लागत की वापसी का दावा करने का अधिकार नहीं है।"इस पत्र की प्राप्ति पर, याचिकाकर्ता ने प्रतिवादीगण को ब्याज के साथ धन की वापसी के लिए एक कानूनी नोटिस जारी किया।कोई जवाब नहीं मिलने के बाद, उन्होंने वर्तमान रिट याचिका के माध्यम से इस अदालत का दरवाजा खटखटाया है।

(4) प्रतिवादीगण संख्या 3 के कार्यकारी अधिकारी-सह-सचिव द्वारा उत्तरदाताओं की ओर से एक लिखित कथन दायर किया गया है।यह कहा गया है कि 1998 की सी. डब्ल्यू. पी. सं. 11880 30 जुलाई, 1998 सुनवाई के लिए न्यायालय के समक्ष उपस्थित थी ।एक अंतरिम आदेश पारित किया गया था जिसके अनुसार प्रतिवादीगण को नीलामी आयोजित करने की अनुमति दी गई थी लेकिन उन्हें इसे अंतिम रूप देने से रोक दिया गया था।इस आदेश को 12 नवंबर, 1998 को उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों द्वारा 1998 की एस. एल. पी. संख्या 11432 में दिए गए 28 अगस्त, 1998 के आदेश द्वारा निर्देशों के अनुसरण संशोधित किया गया था। प्रतिवादीगण का आरोप है कि याचिकाकर्ता याचिका के संबंध में तथ्यात्मक स्थिति को छिपाने का दोषी है।यह भी कहा गया है कि 1999 की सी. डब्ल्यू. पी. सं. 11619, जिसमें इसी तरह का दावा शामिल था, इस न्यायालय की एक पीठ द्वारा 19 अगस्त, 1999 के आदेश के माध्यम से पहले ही खारिज कर दिया गया है।इन प्रारंभिक आपत्तियों के आधार पर प्रतिवादीगण रिट याचिका को खारिज करने का अनुरोध करता है। योग्यता के आधार पर, यह कहा गया है कि याचिकाकर्ता "नीलामी की शर्तों के अनुसार नीलामी राशि की शेष राशि जमा करने के लिए बाध्य है, जिसमें विफल रहने पर उसका पहले से ही जमा पैसें को जब्त किया जा सकता है। याचिकाकर्ता द्वारा अभ्यावेदन प्रस्तुत करने के संबंध में तथ्य को स्वीकार किया गया है।यह आगे कहा गया है कि यह शर्त न्यायालय द्वारा दिए गए निर्देशों के अनुसरण ही लगाई गई थी और याचिकाकर्ता धनवापसी का दावा करने का हकदार नहीं है।

(5) 9 अक्टूबर, 2000 को एक आवेदन के साथ एक अतिरिक्त हलफनामा दायर किया गया है जिसमें यह कहा गया है कि 1998 की सी. डब्ल्यू. पी. 11880 वापस लिए जाने के कारण खारिज कर दिया गया है।

(6) शेष तीन मामलों में तथ्यात्मक स्थिति समान है, सिवाय इसके कि भूखंड की लंबाई-चौड़ाई और उसकी कीमत में अंतर है।

(7) पक्षों के विद्वान वकीलों को सुना गया है।

(8) याचिकाकर्ताओं के वकील श्री अरविंद सिंह ने प्रतिवाद किया है कि प्रतिवादीगण ने एक सशर्त प्रस्ताव दिया था।याचिकाकर्ताओं को इसे अस्वीकार करने का अधिकार था।उन्होंने ऐसा ही किया था।प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिए जाने के बाद, प्रतिवादीगण याचिकाकर्ताओं द्वारा जमा किए गए धन को वापस करने के लिए बाध्य हैं।चूंकि अस्वीकृति के बावजूद धन को प्रतिधारित रखा गया है, इसलिए याचिकाकर्ता भी उसी दर पर राशि पर ब्याज के भुगतान के हकदार हैं जिस दर पर प्रतिवादीगण आवंटनकर्ताओं से शुल्क लेते हैं।दूसरी ओर, प्रतिवादीगण के वकील श्री राजबीर सहरावत ने प्रतिवाद किया है कि मैसर्स गणेश दास दिनेश कुमार और अन्य बनाम हरियाणा राज्य कृषि विपणन बोर्ड और एक अन्य (1999 का सी. डब्ल्यू. पी. संख्या *11619 19* अगस्त, *1999* को तय किया गया*)* के मामले में खंड पीठ के फैसले को देखते हुए रिट याचिका खारिज की जानी चाहिए।

(9) यह निस्संदेह सही है कि याचिकाकर्ताओं ने नीलामी में भाग लिया था।उन्होंने अपने द्वारा उत्कथित दर पर साइटों को खरीदने के लिए अपने-अपने प्रस्ताव दिए थे।इन प्रस्तावों के जवाब में, प्रतिवादीगण ने याचिकाकर्ताओं को एक शर्त के साथ साइटों का प्रस्ताव दिया।यह शर्त थी कि आवंटन का प्रस्ताव 1998 के सी. डब्ल्यू. पी. संख्या 11880 के निर्णय के अधीन है।प्रतिवादीगण की ओर से दिया गया प्रस्ताव बिना शर्त नहीं था।अनुबंधों से संबंधित कानून की भाषा में, यह एक प्रति-प्रस्ताव की प्रकृति में था।कानून के तहत याचिकाकर्ताओं को इसे अस्वीकार करने का अधिकार था।उन्होंने ऐसा ही किया था।स्वीकार की गई स्थिति यह है कि याचिकाकर्ताओं ने, अपने पत्रों के माध्यम से, जो रिकॉर्ड पर प्रस्तुत किए गए हैं, शुरू में लंबित रिट याचिका के बारे में जानकारी मांगी थी।इन अभ्यावेदनों को अभिस्वीकृत भी नहीं किया गया।प्रतिवादीगण से कोई जवाब न प्राप्त के बाद, याचिकाकर्ताओं ने प्राधिकरण को सूचित किया था कि उसके द्वारा दिया गया प्रस्ताव उन्हें स्वीकार्य नहीं है।इस प्रकार, स्थलों के आवंटन के प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया गया।ऐसा होने के बाद, याचिकाकर्ताओं ने उनके द्वारा जमा की गई राशि की वापसी का दावा किया।इस अनुरोध को उत्तरदाताओं द्वारा दिनांक 8 अक्टूबर, 1999 के पत्र के माध्यम से अस्वीकार कर दिया गया था-। पत्र में कोई कारण नहीं बताया गया।

(10) सवाल यह उठता है कि क्या प्राधिकरण ने पैसे वापस करने से इनकार करने में निष्पक्षता से काम लिया?

(11) यह स्वीकृत स्थिति है कि 3 अगस्त, 1998 को नीलामी के समय रिट याचिका के लंबित होने की शर्त का खुलासा नहीं किया गया था।श्री सेहरावत बताते हैं कि प्रतिवादीगण को भी आदेश के बारे में पता नहीं था।इसे ऐसा मानते हुए, तथ्य यह है कि याचिकाकर्ताओं को विचाराधीन रिट याचिका के बारे में जागरूक नहीं किया गया था।

यह भी विवादित नहीं है कि प्रत्येक याचिकाकर्ता ने 3 अगस्त, 1998 को नीलामी के समय प्रतिवादीगण के पास पर्याप्त राशि जमा की थी।प्रतिवादीगण ने 8 महीने की अवधि के लिए याचिकाकर्ताओं को कुछ भी नहीं बताया और पैसे अपने पास रख लिए।20 अप्रैल, 1999 को पहली बार याचिकाकर्ताओं को भूखंड का प्रस्ताव दिया गया था।उस समय उपरोक्त शर्त लागू की गई थी।याचिकाकर्ताओं ने तुरंत अधिक जानकारी के लिए अनुरोध किया था।प्रतिवादीगण चुप रहे।तब याचिकाकर्ताओं ने प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया।लगभग चार महीने बाद प्रतिवादीगण ने जवाब दिया और पैसे वापस करने से इनकार कर दिया।पूरी प्रक्रिया में, प्रतिवादीगण का आचरण निष्पक्ष नहीं था।

(12) श्री सहरावत निवेदन करते हैं कि कई अन्य बोलीदाताओं ने प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया है और यहां तक कि साइट पर निर्माण भी शुरू कर दिया है।ऐसा हो सकता है।कुछ लोग साहसी हो सकते हैं।वे मुकदमेबाजी का सामना करने के लिए इच्छुक हो सकते हैं।याचिकाकर्ताओं ने ऐसा नहीं करने का फैसला किया था।इसके लिए उन्हें दोषी नहीं ठहराया जा सकता।जब एक सशर्त प्रस्ताव दिया गया था, तो उन्हें इसे अस्वीकार करने का अधिकार था।ऐसा करने के बाद, याचिकाकर्ता अपने पैसे वापस करने के हकदार थे।प्रतिवादीगण के पास भुगतान करने से इनकार करने का कोई कारण नहीं था।

(13) श्री सहरावत इंगित करते हैं कि नीलामी के संबंध में नोटिस में, यह विशेष रूप से उपबंधित किया गया है कि "यदि गैर-अनुमोदन के कारण बकाया राशि वापस कर दी जाती है, तो कोई ब्याज देय नहीं होगा।"इस प्रावधान को ध्यान में रखते हुए वह निवेदन करते हैं कि याचिकाकर्ता किसी भी ब्याज के भुगतान के हकदार नहीं हैं।

(14) सबसे पहले, हम बकाया राशि भी वापस करने से इनकार करने में प्राधिकरण की कार्रवाई से चिंतित हैं।8 अक्टूबर, 1999 के पत्र के माध्यम से याचिकाकर्ताओं को सूचित किया गया कि उन्हें धनवापसी का दावा करने का कोई अधिकार नहीं है।दूसरा, नोटिस में ऊपर उल्लेखित प्रावधान केवल ऐसी स्थिति पर विचार करता है जहां प्रतिवादी-प्राधिकरण नीलामी को अस्वीकार करता है।बिना ब्याज के धनवापसी का सवाल तभी उठेगा जब नीलामी की कार्यवाही की सक्षम प्राधिकारी द्वारा पुष्टि नहीं की जाएगी।वर्तमान स्थिति में ऐसी स्थिति नहीं है।याचिकाकर्ताओं द्वारा दी गई बोलियों को स्वीकार कर लिया गया।हालांकि, एक सशर्त प्रस्ताव दिया गया था।याचिकाकर्ताओं ने इस सशर्त प्रस्ताव को खारिज कर दिया था।जैसा कि पहले ही देखा जा चुका है, उन्हें ऐसा करने का अधिकार था।उन्होंने नोटिस या नीलामी की शर्तों में किसी भी शर्त के विपरीत कार्य नहीं किया।

(15) श्री सेहरावत ने बैसाखियों की तलाश की है और मैसर्स गरीश दास दिनेश कुमार के मामले *(ऊपर)* में निर्णय पर भरोसा किया है।तथ्यात्मक

इस मामले में स्थिति पूरी तरह से अलग थी।फैसले के अवलोकन पर हम पाते हैं कि याचिका "19 फरवरी, 1999 को अध्यक्ष/प्रशासक, बाजार समिति, करनाल द्वारा जारी पत्र में सन्निहित शर्त संख्या 20 को रद्द करने के लिए दायर की गई थी।"वर्तमान मामले में ऐसी स्थिति नहीं है।याचिकाकर्ताओं ने इस अनुरोध के साथ अदालत का दरवाजा नहीं खटखटाया है कि आवंटन के प्रस्ताव में लगाई गई किसी भी शर्त को रद्द कर दिया जाए।इसके विपरीत, वे ब्याज के साथ 3 अगस्त, 1998 या उसके बाद उनके द्वारा भुगतान किए गए धन की वापसी के अपने अधिकार पर जोर दे रहे हैं।तथ्यात्मक स्थिति अलग होने के कारण, निर्णय वर्तमान मामले के तथ्यों पर लागू नहीं होता है।इस स्तर पर, हम यह भी देख सकते हैं कि श्री अरविंद सिंह ने डिवीजन बेंच द्वारा लिए गए दृष्टिकोण की सत्यता का गंभीरता से विरोध किया है।हालांकि, तथ्यात्मक स्थिति में अंतर को ध्यान में रखते हुए, हमारे लिए इस पहलू की जांच करना आवश्यक नहीं है जैसा कि याचिकाकर्ताओं के वकील द्वारा उठाया गया है।

(16) श्री अरविंद सिंह को यह बताते हुए प्रयासरत हो रहे है कि प्रतिवादीगण ने मामले से निपटने में अनुचित तरीके से काम किया था।वह निवेदन करते है कि वे हर स्तर पर देरी के दोषी थे।दूसरी ओर, श्री राजबीर सहरावत बताते हैं कि बोर्ड ने स्वेच्छा से शर्त नहीं लगाई थी।इसने केवल न्यायालय के आदेश का पालन किया था।

(17) निस्सन्देह बूथों के संबंध में नीलामी को कोई चुनौती नहीं थी।इसके अलावा, यह प्रतिवादीगण का मामला है कि जिन स्थलों के लिए इन मामलों में याचिकाकर्ताओं द्वारा बोली दी गई थी, वे 1998 के सी. डब्ल्यू. पी. संख्या 11880 में बिल्कुल भी शामिल नहीं थे।इसके बावजूद बोर्ड ने शर्त लगा दी थी।इसके अलावा, जब याचिकाकर्ताओं ने बोर्ड से जानकारी मांगी, तो कोई जानकारी नहीं दी गई।इस स्थिति में, याचिकाकर्ताओं को आशंका व्यक्त करने के लिए दोषी नहीं ठहराया जा सकता है।गलती, यदि कोई है, तो वह बोर्ड की है।यदि यह राय थी कि याचिकाकर्ताओं के अंतिम निर्णय से प्रभावित होने की संभावना नहीं है, तो उसे याचिकाकर्ताओं को तथ्यात्मक स्थिति से अवगत कराना चाहिए था।प्रतिवादीगण ऐसा करने में विफल रहे हैं, वे अब याचिकाकर्ताओं को प्रस्ताव को अस्वीकार करने या धनवापसी का दावा करने के लिए दोषी नहीं ठहरा सकते हैं।

(18) कोई अन्य मुद्दा नहीं उठाया गया है।

(19) उपरोक्त को ध्यान में रखते हुए, हम रिट याचिका को मंजूर करते हैं।हम प्रतिवादीगण द्वारा 8 अक्टूबर, 1999 को जारी आदेश/संचार को रद्द करते हैं।हम मानते हैं कि याचिकाकर्ता उनके द्वारा जमा की गई राशि की वापसी के हकदार है

।यह सच है कि याचिकाकर्ताओं ने अगस्त 1998 में जमा किया था, हालांकि, उन्होंने 23 जून, 1999 को प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया था।वे 1 जुलाई, 1999 से 12 प्रतिशत प्रति वर्ष की दर से ब्याज के साथ धनवापसी के हकदार होंगे।प्रतिवादीगण इस आदेश की प्रति प्राप्त होने की तारीख से एक महीने के भीतर पैसे वापस कर देंगे।यह लागत के पुरस्कार के लिए एक उपयुक्त मामला है।हालाँकि, इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि प्रतिवादीगण सार्वजनिक अधिकारी हैं, हम पक्षों को उनकी लागत वहन करने के लिए छोड़ देते हैं।

आरएनआर

अस्वीकरण : स्थानीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के सीमित उपयोग के लिए है ताकि वह अपनी भाषा में इसे समझ सके और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है । सभी व्यवहारिक और आधिकारिक उद्देश्यो के लिए निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रमाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य के लिए उपयुक्त रहेगा ।

आयुष
प्रशिक्षु न्यायिक अधिकार
हिसार, हरियाणा